केन्द्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूरु-560 068

सं.केरेबो-30(4)/2017-18/लेखा/जीईएम दिनांकः 07.04.2017

परिपत्र

विषय : जीईएम पोर्टल के माध्यम से सामान व माल की खरीद/सेवाएँ प्राप्त करने/परामर्शदाता की नियुक्ति करने/डीजीएस व डी के तहत माल के प्रापण के संबंध में।

****

भारत सरकार ने एक सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) शुरू किया था जिसका उद्देश्य सभी सरकारी अधिकारियों को सामान/सामग्री खरीदने/सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता करना है जो अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए है। "जीईएम" सरकार के उपयोगकर्ताओं को रोज़ के कार्यों के लिए आमतौर पर आवश्यक सामान/सामग्री/सेवाओं की उनकी माँग पूरा करने के लिए है। जीईएम से सरकारी खरीददार मेक इन इंडिया और एसएसआई माल के सामान आसानी से खरीद सकते हैं। जीईएम में सभी लेनदेन सुरक्षित और लागत प्रभावी हैं।

संगठन/एच ओ डी का पंजीकरण, उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण - प्रामाणिक प्राधिकरण, जीईएम पोर्टल की सेवाओं के उपयोग के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इसलिए, सभी संबंधित यूनिट प्रभारी को सख्त रूप से सलाह दी जाती है कि वे कम से कम 3 सदस्यों – प्रयोक्ता, (1) कंसाइनी, (2) क्रेता (3) डीडीओ और (4) पीएओ को माध्यमिक अधिकारियों के रूप में पंजीकृत करें, जिन्हें एचओडी द्वारा जीईएम पोर्टल के संचालन हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। दिशानिर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए, कृपया जीईएम पोर्टल देखें, जिसमें साइन-इन और साइन-अप निर्देश और प्रदर्शन/प्रशिक्षण पृष्ठ उपलब्ध हैं। संगठन/कार्यालय/उपयोगकर्ता के पंजीकरण के लिए कदम अनुलग्नक- I और II में दिया गया है।

पंजीकरण के बाद, उस पर ब्योरे कृपया रिकॉर्ड के लिए केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु को भेज दें। उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण और संदेह, यदि कोई हो, तो ई-मेल (accts.csb@nic.in)/फैक्स या दूरभाष पर श्री शिवलिंगय्या, सहायक निदेशक (प्र व ले) और श्री एच. ए. पांडुरंगा, उपनिदेशक (कम्प्यूटर) (hapandu.csb@nic.in)/cs.csb@nic.in), समन्वयक को केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु को भेजा जा सकता है। यदि जीईएम पोर्टल के तहत अपेक्षित सामान/सामग्री/सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं तो मौजूदा नियमों के अनुसार मद खरीद सकते हैं। इसके अलावा, जीईएम पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के ज्ञान के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा का ज्ञा सं. एफ/26/4/2016/ पीपीडी, दिनांक 26 सितंबर, 2016 के द्वारा जारी परिपत्र अनुबंध-3 के रूप में संलग्न है।

प्रत्यक्ष ऑनलाइन खरीद के लिए जीईएम के तहत उपलब्ध वस्तुओं/सामग्री/सेवाओं के लिए खरीद करने वाले अधिकारियों द्वारा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। खरीददारियों के विवरण और जिस राशि तक खरीदी की जा सकती है, उनके विवरण जीईएम पोर्टल के साथ सूचीबद्ध हैं जिसका संदर्भ लिया जाए।

सरकार ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) – डीजीएस व डी या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी एक ऑनलाइन सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) माल और सेवाओं के सामान्य उपयोग के लिए होस्ट करेगा। डीजीएस व डी आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीईएम के माध्यम से प्रापण किए गए मदों के नियमित विज्ञापन सहित पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करेगा। जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं/ सामग्री/सेवाओं के लिए

मंत्रालयों या विभागों द्वारा सामग्री और सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य होगा। जीईएम पर आपूर्तिकर्ताओं का परिचय-पत्र का प्रमाणीकरण डीजीएस व डी द्वारा किया जाएगा।

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 149 के अनुसार सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक सभी सामान और सेवाएँ को जीईएम पोर्टल (www.gem.gov.in) के माध्यम से खरीदना होगा और माल/सामग्री/सेवाओं के मामले में अनिवार्य है जो डीजीएसव डी के तहत नहीं हैं। जीईएम पोर्टल का उपयोग सीधे ऑन-लाइन खरीदी के लिए सरकारी खरीददारों द्वारा किया जाएगा, जैसा कि नीचे बताया गया है: -

(i) जीईएम पर उपलब्ध किसी भी उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से रु.50,000/- तक, अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करने पर।

(ii) उपलब्ध विक्रेताओं में से सबसे कम कीमत के जीईएम विक्रेता के जरिए रु.50,000/- से ऊपर और रु.30,00,000/- तक, कम से कम तीन भिन्न निर्माताओं, जीईएम पर जो आवश्यक गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करते हैं। ऑन-लाइन बोली-प्रक्रिया के लिए उपकरण और जीईएम पर उपलब्ध ऑनलाइन रिवर्स नीलामी खरीदार द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है अगर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(iii) रु.30,00,000/- से ऊपर, कम से कम मूल्य वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से जीईएम पर उपलब्ध ऑनलाइन बोलीदाता अथवा रिवर्स नीलामी उपकरण का इस्तेमाल करते हुए अनिवार्यतः निविदा प्राप्त करने के बाद आवश्यक गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करने पर।

(iv) ऑनलाइन ई-बोली-प्रक्रिया/रिवर्स नीलामी के लिए निमंत्रण पोर्टल पर पंजीकृत सभी मौजूदा विक्रेताओं या अन्य विक्रेताओं के लिए उपलब्ध होगा और जिन्होंने जीईएम की शर्तों के अनुसार विशेष उत्पाद/सेवा श्रेणी के तहत अपना माल/सेवाएँ प्रदान की हैं।

(V) उपर्युक्त आर्थिक सीमा केवल जीईएम के जरिए खरीद के लिए लागू होता है। जीईएम के बाहर खरीद, कोई हो तो, के लिए प्रासंगिक जीएफआर नियम लागू होंगे। सामान की माँग एल1 के माध्यम से खरीद से बचने के लिए टुकड़े टुकड़े की खरीद करने के लिए छोटी मात्रा में नहीं विभाजित किया जाएगा। जीईएम पर खरीद/बोली/रिवर्स नीलामी अथवा उच्चतम अधिकारियों की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता।

(Vi) सरकारी खरीददार आदेश देने के पहले बिजनेस एनालिटिक्स (बीए) उपकरणों के उपयोग के जरिए जीईएम पर आखिरी खरीद मूल्य, विभाग की अपनी अंतिम क्रय मूल्य इत्यादि सहित कीमतों की तर्कसंगतता के बारे में पता लगाएँ।

माल/सामगी के प्रापण तथा सेवाएँ प्राप्त करने के लिए सभी अन्य कार्यविधि का सख्त अनुपालन विद्यमान नियम व विनियम के अनुसार किया जाए। इस परिपत्र को जारी करने की तारीख से केवल जीईएम पोर्टल के माध्यम से माल/सामग्री की खरीदी/सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उपरोक्त निदेशों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

आर. सतीश कुमार

(आर. सतीश कुमार)
निदेशक (वित्त)

सेवा में,
केरेबो के सभी एकक